2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2025	पत्रावली पेश हुई। बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थीगण लखवीर सिंह, कर्मसिंह ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया है, न्यायहित में अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना जा चुका है। वादपत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थना पत्र 07, R11 सीपीसी, जवाब प्रार्थना पत्र 07 R11, प्रस्तुत जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। जिला पंजीयक के समक्ष हरबंश कौर द्वारा निष्पादित वसीयतनामा का अवलोकन किया गया। वसीयतनामा के अनुसार श्रीमती हरबंश कौर ने 36 एम एम के (सादुलशहर), 34 MMK (सादुलशहर) व 33 MMK (हनुमानगढ़) में अवस्थित अपनी भूमि अपने सगे भाईयों को वसीयत की है। अपने प्रत्युत्तर में वादीया ने अंकन किया है कि 'उक्त वसीयत छल व कपटपूर्वक स्व. हरबंश कौर की बिना इच्छा के निष्पादित करवाई गई है' लेकिन ऐसे दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदियों से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:50:54 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट है कि स्व. हरबंश कौर को वादग्रस्त भूमि अपने पति रणजीत सिंह जट्ट मजहबी के मौत होने के पश्चात विरासत प्राप्त हुई है।

धारा 15, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार निर्वसीयती मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति प्रथमः पुत्रों और पुत्रियों और पति को, द्वितीयतः पति के वारिसों को न्यागत होगी। 15(ख) के अनुसार 'कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसो को न्यागत होगी लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादिया स्व. हरबंश कौर की बहिन है जिसने वादग्रस्त भूमि में हिस्से की घोषणा चाही है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:30:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन अनुसार वादपत्र वादिया विधि द्वारा वर्जित होने

के कारण खारिज किया जाता है। प्रकरण में न्यायहित में प्रार्थीगण लखवीर सिंह, कर्मसिंह को अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सुना गया था। प्रार्थना-पत्र में खसरा-खानदान के अनुसार प्रार्थीगण ने स्वयं को हरबंश कौर के देवर गुरबचन सिंह के पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया है, पृथक से सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद लाने के लिये स्वतन्त्र है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:50:54 IST
Reason: SelfAttested